551

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष: एम0गोपाल रेड्डी,

प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1304-पीबीआर/17 एवं निगरानी 1313-पीबीआर/17 एवं विरूद्ध आदेश दिनांक 21-4-17 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 440/अपील/2013-14, 612/अपील/2014-15.

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1304-पीबीआर/17

1- सत्यनारायण पिता स्व0 श्री हीरालाल जी देसवाली

2- कमल पिता श्री स्व0 हीरालाल जी देसवाली
निवासी छोटी पीपल की गली, काजीपुरा
अंकपात मार्ग उज्जैन ------ आवेदकगण

विरूद्ध

1. केसरसिंह पिता श्री गोपाल जी मीणा,
निवासी 86/2 काजीपुरा, अंकपात मार्ग, उज्जैन

2. रेव्हेन्यू अधिकारी कर्मचारी हल्का नंबर 38
पूर्व हल्का नंबर 24 तहसील उज्जैन ------ अनावेदकगण

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1313-पीबीआर/17

नागक्षत्रेश्वर कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटे उज्जैन
द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर -दिलीप पिता शैतानमल
निवासी 30/3 क्षपणक मार्ग बाफना रेजिडेंसी
जी.डी.सी. रोड उज्जैन ------ आवेदकगण

विरूद्ध

1. केसरसिंह पिता श्री गोपाल जी मीणा,
निवासी 86/2 काजीपुरा, अंकपात मार्ग, उज्जैन

2- सत्यनारायण पिता श्री हीरालाल जी देसवाल

3- कमल पिता श्री हीरालाल जी देसवाली
निवासी छोटी पीपल की गली, काजीपुरा
अंकपात मार्ग उज्जैन ------ अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता (दोनों प्रकरणों में) आवेदकगण की ओर से ।
श्री दिवाकर दीक्षित, अधिवक्ता (दोनों प्रकरणों में) अनावेदक क्रं0 1 की ओर से ।
श्री डी0के0 पासी, अधिवक्ता (निग0 1313-पीबीआर/17) में अनावेदक क्रं0 2 एवं 3 की ओर से तथा शासकीय अधिवक्ता, अनावेदक शासन की ओर से ।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/12/2018 को पारित)

यह निगरानियां अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 440/अपील/2013-14 एवं प्र0क्र0 612/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 21-4-2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई हैं । चूंकि दोनों प्रकरणों के तथ्य एक समान होने पक्षकार एक होने एवं वाद-बिंदु एक होने के कारण तीनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक - 1 केसरसिंह द्वारा एक शिकायती आवेदन एवं धारा 80 सी0पी0सी0 के तहत सूचनापत्र कलेक्टर जिला उज्जैन को प्रेषित किया गया, जिसे कलेक्टर उज्जैन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । शिकायत में यह लेख किया गया कि कस्बा उज्जैन स्थित प्रश्नाधीन भूमियां सर्वे नंबर 1480 रकबा 1.693 आरे, सर्वेनंबर 1469 रकबा01 बीसवा, सर्वे नंबर 1470 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा, सर्वे नंबर 1441 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा एवं सर्वे नंबर 1469 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्व0 चम्पाबाई विधवा भेरूजी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की रही हैं । चम्पाबाई का स्वर्गवास 1971 में होकर वह लाऔलाद थी और उनकी मृत्यु के उपरांत उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण विवादित भूमियां संहिता की धारा 177 के अंतर्गत बने प्रावधानों के अनुसार शासकीय हो गई हैं । शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उसके पिता गोपाल जी के द्वारा चम्पाबाई से सर्वे नंबर 1480 रकबा 1.693 हैक्टर भूमि क्रय करने का मौखिक अनुबंध किया था और इस भूमि पर उसका कब्जा है तथा अन्य भूमियों के फर्जी विक्रयपत्र बनाये जाकर आवेदक हीरालाल ने अपने नाम भूमि दर्ज करा ला ली है । इसी संबंध में दिनांक 13-4-09 को जनसुनवाई में कलेक्टर को शिकायत की गई थी, जिसे जांच हेतु तहसीलदार को भेजा गया जिस पर से तहसीलदार ने प्र0क्र0 1013/बी-121/09-10 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई जो प्रचलित है ।

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष हीरालाल द्वारा उक्त शिकायत के संबंध में अपना जबाव पेश किया गया कि उसने विवादित भूमि को चंपाबाई को विधिवत विक्रय मूल्य अदा कर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 16-4-63 के द्वारा क्रय किया गया है तथा सर्वे नंबर 1480 की भूमि रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा चम्पाबाई ने आवेदक हीरालाल को अंतरित की है । अत: प्रकरण में धारा 177 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । जबाव में यह भी लेख किया गया कि अनावेदक केशरसिंह सर्वे नंबर 1480 की भूमि हडपना चाहता है और उसके द्वारा इस सर्वे नंबर के संबंध में एक वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो माननीय उच्च न्यायालय तक खारिज हुआ है । केसरसिंह द्वारा झूंठी शिकायत की गई है । आवेदक ने अपने जबाव में यह भी प्रकट किया कि उसने विवादित भूमियों को अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया है और उनका नामांतरण भी हो चुका है, जिन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच में तहसील न्यायालय का उक्त प्रकरण प्राप्त कर उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत प्रकरण क्रमांक 27/जांच/11-12 में दिनांक 4-1-13 को यह आदेश पारित किया गया कि विवादित भूमियां चम्पाबाई के नाम रहीं हैं जो बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से आवेदक हीरालाल के नाम अंतरित हुई हैं और हीरालाल द्वारा जो विक्रयपत्र एवं वसीयत कराई हैं उन्हें संदेहास्पद मानते हुए सर्वे नं0 1480 पर अनावेदक केसरसिंह का कब्जा होने से कॉलम नं0 12 में कब्जा दर्ज करने एवं यह मानते हुए कि चम्पाबाई लाआलौद फोत हुई है अन्य सर्वे नंबरों की भूमि हेतु संहिता की धारा 177 के तहत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध हीरालाल आदि द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष अपील पेश की गई जिसमें उन्होंने दिनांक 23-5-14 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सर्वे नंबर 1480 पर कब्जा दर्ज करने संबंध आदेश को विधिसंगत न होना माना तथा शेष आदेश स्थिर रखते हुए हीरालाल के विरूद्ध आवश्यक आपराधिक कार्यवाही के निर्देश् दिये । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक हीरालाल एवं नागक्षेत्रश्वर कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा पृथक-पृथक अपीलें प्रस्तुत कीं । अनावेदक क्रमांक 1 केसरसिंह द्वारा भी अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई । जिनका निराकरण अपर आयुक्त ने संयुक्त रूप से करते हुए उक्त तीनों अपीलों को आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है । अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरणों के विचारण के दौरान हीरालाल का स्वर्गवास होने से उसका नाम निगरानी आवेदन से आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन-पत्र से कम किया गया है ।

4/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियां उनके द्वारा भूमिस्वामिनी चम्पाबाई से वर्ष 1963 में पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय किया गया है । सर्वे नंबर 1480 की रजिस्टर्ड वसीयत चंपाबाई द्वारा आवेदक के पक्ष में की गई है । चंपाबाई की मृत्यु होने के उपरांत आवेदक का विधिवत नामांतरण उक्त भूमियों पर किया गया है और तभी से हीरालाल का नामांतरण निरंतर चला आ रहा है, तथा शासन द्वारा हीरालाल से मालिक मानकर लगान वसूल किया गया है। आवेदक हीरालाल ने उक्त वादग्रस्त भूमि में एक कुंआ भी खुदवाया है और बैंक से ऋण भी लिया जाकर भुगतान किया गया है । अत: अनुविभागीय अधिकारी का यह कहना कि आवेदक का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमियों पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से किया गया है पूर्णत: त्रुटिपूर्ण है । चूंकि मृतक चंपाबाई अपनी समस्त संपत्तियों को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र एवं रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अंतरित कर चुकी थी ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी को यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं था की चंपाबाई द्वारा कोई लावारिस संपत्ति छोडी गई हो । अत: प्रश्नाधीन भूमि को लावारिस घोषित करने तथा संहिता की धारा 177 के तहत शासकीय घोषित करने के आदेश देने में अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्णत: अवैधानिक कार्यवाही की है ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने चंपाबाई द्वारा संपादित विक्रयपत्रों की जांच आवेदक के **behond back** (पीठ पीछे) प्रस्तुत करवाकर अपने अनुसार की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा चम्पाबाई की आयु में भिन्नता होने के आधार जो कि टंकण त्रुटि है को आधार बनाकर 50 वर्ष से अधिक पुराने रजिस्टर्ड दस्तावेज को बिना किसी आधार के फर्जी मानकर निरस्त करना अधिकारिता रहित कार्यवाही है । साक्षीगण के हस्ताक्षरों के संबंध में भी आवेदक के पीठ पीछे साक्षी के हस्ताक्षर की विशेषज्ञ से रिर्पोट प्राप्त कर मनमाने ढंग से निष्कर्ष निकाला गया है ।

यह भी कहा गया कि प्रत्येक कार्यवाही के लिए वैधानिक रूप से कालावधि निर्धारित है 50 वर्ष पश्चात रजिस्टर्ड विक्रयपत्र एवं रजिस्टर्ड वसीयतनामे को अमान्य या निरस्त करने की अवधि किस विधान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान की गई है इसका उल्लेख आदेश में नहीं किया गया है । इस बिंदु को भी अपीलीय न्यायालयों द्वारा अनदेखा किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक मृतक हीरालाल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के कुछ भाग को कई अन्य व्यक्तियों को पूर्व में विक्रय किया जा चुका है और उनके नामांतरण भी हो चुके थे परंतु उक्त भूमि के भूमिस्वामियों को बिना सुनवाई का अवसर दिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि को लावारिस मानकर आदेश पारित करने के निर्देश देना पूर्णत: अवैधानिक है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय की आदेश पूर्णत: अवैधानिक है और अनावेदक केसरसिंह को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से किया गया है । हैरत की बात तो यह है कि एक ओर तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा चम्पाबाई की समस्त कृषि भूमि को शासकीय घोषित कराए जाने के निर्देश दिए हैं इसके साथ ही अनावेदक केसरसिंह का नाम सर्वे नंबर 1480 पर खसरे के खाना नंबर 12 में बहैसियत कब्जेदार के नाम दर्ज करने के निर्देश दिये हैं जो पूर्णत अवैधानिक है ।

यह तर्क भी दिया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के कुछ भाग को विक्रय की गई भूमि के भूमिस्वामी मोहम्मद ताहिर आदि द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के द्वारा पारित निगरानीग्रस्त आदेशों विरूद्ध व्यवहार वाद क्रमांक 72-ए/2014 पंचम व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें दीवानी न्यायालय द्वारा दिनांक 28-11-15 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेशों को शून्य व प्रभावहीन घोषित किया गया है । उक्त निर्णय व जयपत्र अपर आयुक्त के समक्ष लंबित अपील के विचारणकाल में पारित हुआ था । इस कारण आवेदक ने एक आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का उपरोक्त निर्णय व जयपत्र रिकार्ड पर लिया जाकर आदेश पारित करने हेतु प्रस्तुत किया था परंतु अपर आयुक्त द्वारा उक्त आवेदन का निराकरण किए बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया है जबकि उन्हें प्रकरण का निराकरण व्यवहार न्यायालय के उक्त निर्णय के आधार पर करना चाहिए था । दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की गई है इस कारण उक्त आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 1 केसरसिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि चम्पाबाई की मृत्यु लाऔलाद हुई है । केसरसिंह के पिता द्वारा मृतक चंपाबाई से भूमि सर्वे नंबर 1480 रकबा 1.693 क्रय करने का अनुबंध किया गया था तभी से केसरसिंह के पिता का नाम बतौर कब्जेदार राजस्व अभिलेखों में अंकित चला

आ रहा है । उनका नाम बिना अधिकार के हटा दिये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विवादित भूमि को शासकीय घोषित करने तथा सर्वे नंबर 1480 पर अनावेदक केसरसिंह का नाम कब्जेदार के रूप में खसरे के खाना नं0 12 में अंकित करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त सर्वे नंबर 1480 पर उसका कब्जा मानय किया है । अतः आवेदक की निगरानी निरस्त की जाये ।

6/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया ।

7/ प्रकरण क्रमांक निगरानी 1313-पीबीआर/17 एवं प्रकरण क्रमांक निगरानी 6254/2017 के अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन करते हुए निगरानियां स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया

8/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । जिसके अवलोकन करने पर यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्वीकृत है कि उपरोक्त वादग्रस्त सर्वे नंबरान की भूमियां स्व0 चम्पाबाई विधवा भैरूसिंह की स्वामित्व की रही हैं, और चम्पाबाई की कोई संतान नहीं थी । चम्पाबाई ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमियों को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 16-4-1963 के द्वारा आवेदक सत्यनारायण एवं कमल के पिता स्व0 हीरालाल को विक्रय की थी, और अपनी अन्य सम्पतियों की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 23-3-1969 के द्वारा हीरालाल के पक्ष में की गई थी । उपरोक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्र एवं रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ही हीरालाल का नामांतरण राजस्व रिकार्ड में हुआ है । तभी से उनका नाम राजस्व रिकार्ड में निरंतर दर्ज रहा होकर उनके द्वारा लगान आदि अदा किया जा रहा है । चम्पाबाई द्वारा अपनी चल-अचल संपत्ति को विक्रयपत्र एवं वसीयत किए जाने के संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 केसरसिंह द्वारा की गई शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच कर मृतक चम्पाबाई के स्वामित्व की भूमि पर आवेदक हीरालाल का नामांतरण बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज होना बताया गया है जबकि चम्पाबाई की मृत्यु 1971 में हुई है । प्रकरण के तथ्यों एवं आवेदक हीरालाल के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र एवं रजिस्टर्ड वसीयत होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शिकायत के आधार पर पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 16-4-1963 एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 23-3-1969 को निरस्त कर संहिता की धारा 177 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को आदेशित करना विधि अनुकूल

नहीं है । न्यायदृष्टांत 1984 आर0एन0 5 में मंडल के विद्वान अध्यक्ष द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :-

> " संहिता की धारा 109 एवं 110 पंजीकृत विक्रयपत्र - उसकी वैधता की जांच- राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती - ऐसे विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण किया जाना चाहिए ।"

इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1981 आर0एन0 277 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

> " संहिता की धारा 109 एवं 110 नामांकन कार्यवाही - पंजीकृत विक्रयपत्र राजस्व न्यायालयों को विक्रयपत्र की वैधता की जांच करने का क्षेत्राधिकार नहीं है - नामांकन ऐसे विक्रयपत्र के आधार पर किया जायेगा - क्षुब्ध व्यक्ति व्यवहार न्यायालय में जा सकता है ।"

प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए एवं उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 50 वर्ष से अधिक समय पूर्व चंपाबाई द्वारा हीरालाल के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को एवं 40 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर हीरालाल के पक्ष में हुए नामांतरणों को संदेहास्पद मानते हुए तथा यह मानते हुए कि चम्पाबाई लाआलौद फोत हुई है । सर्वे नं0 1480 पर अनावेदक केसरसिंह का कब्जा होना उल्लिखित कर खसरे के कॉलम नं0 12 में केसरसिंह का कब्जा दर्ज करने एवं अन्य सर्वे नंबरों की भूमि हेतु संहिता की धारा 177 के तहत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को आदेशित करना क्षेत्राधिकार एवं अधिकारिता रहित कार्यवाही है । यदि अनुविभागीय अधिकारी के मत में पंजीकृत विक्रयपत्र एवं वसीयतनामा फर्जी थे तब उन्हें सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने जाने की कार्यवाही करना थी । अत: यह पाया जाता है कि संहिता की धारा 177 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि धारा 177 ज्ञात वारिसों के बगैर व्यक्ति के मरने पर लागू होती है जबकि वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियां भिन्न हैं थी, वर्तमान प्रकरण में चम्पाबाई द्वारा अपने जीवनकाल में प्रश्नाधीन भूमियों में से कुछ भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से विक्रय कर चुकी थी तथा कुछ भूमि पंजीकृत वसीयत के द्वारा व्ययन कर चुकी थी ।

8/ अभिलेख को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि हीरालाल के द्वारा प्रश्नाधीन सर्वे नंबरान की भूमियों में से भूमि सर्वे नंबर 1470 रकबा 1.766 हैक्टर में रकबा 0.588 हैक्टर, सर्वे नंबर 1471 रकबा 1.819 हैक्टर में से 0.550 हैक्टर भूमि मोहम्मद ताहिर को, भूमि सर्वे नंबर 1479 रकबा 1.81 हैक्टर युसुफ खान को, भूमि सर्वे नंबर 1471 रकबा 1.819 हैक्टर में से 0.550 हैक्टर व भूमि सर्वे नंबर 1470

रकबा 1.766 हैक्टर में से 0.588 हैक्टर जावेद खान को, भूमि सर्वे नंबर 1471 रकबा 1.819 हैक्टर में से 0.455 हैक्टर एवं सर्वे नंबर 1470 रकबा 1.766 हैक्टर में से 0.590 हैक्टर मोहम्मद आसिफ को एवं भूमि सर्वे नंबर 1471 रकबा 1.891 हैक्टर में से 0.454 हैक्टर तथा भूमि सर्वे नंबर 1470 रकबा 1.766 हैक्टर में से 0.590 हैक्टर मोहम्मद इस्माईल को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्य से विक्रय किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश के उपरांत उक्त व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से न्यायालय पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय में स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा की प्राप्ति हेतु व्यवहार वाद क्रमांक 72-ए/2014 प्रस्तुत किया था जिसमें अपर कलेक्टर उज्जैन, अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन एवं तहसीलदार, उज्जैन को पक्षकार बनाया गया है । उक्त व्यवहार वाद में विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28-11-15 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेशों को शून्य व प्रभावहीन मान्य किया गया है और वाद में वादियों के पक्ष में उनके आदेशों को निरस्त किया गया है । इससे यह प्रमाणित है कि सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र एवं पंजीकृत वसीयत नामे को विधिवत माना गया है और अपरोक्ष रूप से यह निर्धारित किया गया है कि चम्पाबाई लावारिस फोत नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में संहिता की धारा 177 की कार्यवाही अवैधानिक एवं अनुचित है । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि का विगत 50 वर्षों में अनेक व्यक्तियों को अंतरण हुआ है और उनके नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर होते रहे हैं परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । चूंकि अपर कलेक्टर और अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा गया है इस कारण उनके आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह तीनों निगरानियां स्वीकार की जाती हैं तथा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-4-17, अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-5-14 एवं अनुतिवभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-1-13 निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार, उज्जैन को निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश के पालन में मृतक हीरालाल एवं अन्य आवेदकगण का नाम कस्बा उज्जैन स्थित प्रश्नाधीन भूमियों पर से पृथक किया गया हो तो अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 4-1-13 के

पूर्व की स्थिति अनुसार मृतक हीरालाल के हिस्से पर उसके वारिसान तथा सर्वे नंबर 1484 रकबा 0.491 पर आवेदक नागछत्रेश्वर प्रा0लि0 का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये और राजस्व अभिलेख तदनुसार संशोधित किये जायें ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर